

FS 449324

पार्टनरशिप डीड

यह पार्टनरिशप डीड आज दिनांक 30/09/2020 को प्रमालिखित व्यक्तियों के मध्य तैयार हुई। ज्योति पुत्री देवेन्द्रसिंह निवासी 31/223, कटघर पुरानी

----प्रथम पक्ष/ साझेदार

2- विशाल कुमार कर्दम पुत्र देवेन्द्रसिंह निवासी 31/223, कटघर पुरानी राजामंडी आगरा

---द्वितीय पक्ष / साझेदार

जैसा कि उपरोक्त सभी पक्ष फर्म के नाम मै० श्रीकृष्णा मैडीकल स्टोर के नाम से रिटेल औषधि का व्यापार करने के लिए सहमत है परन्तु सभी साझेदारों की आपसी सहमति से फर्म के

eyper (



FS 449325

2

मुख्य व्यवसाय को कभी भी परिवर्तित किया जा सकता है। जैसा कि उपरोक्त फर्म के मुख्य व्यवसाय की प्रकृति-फर्म रा रिटेल में ॲग्रेजी औषधियों की खरीद/बिक्री का संचालन किया गायेगा।

जैसा कि उपरोक्त सभी पक्ष ऊपर लिखे कारोबार करने की निम्नलिखित शर्तों के तहत आपसी सहमति व्यक्त की है जिससे कि प्रत्येकपक्ष को अपने-अपने अधिकार एवं कर्तव्य ज्ञात रहे। 1- यह कि साझेदारी फर्म मै० श्रीकृष्णा मैडीकल स्टोर दुकान नं० 48/1ए, चौहान मार्केट खतैना रोड, लोहामंडी आगरा है। यह कि फर्म के उपरोक्त सभी कार्य जैसे-फर्म द्वारा रिटेल में अप्रेजी औषधियों की खरीद/बिक्री का संचालन दिनांक 30/09/2020



FS 449322

3

किया जायेगा। सभी पक्ष साझेदार अपनी आपसी सहमति से एक दूसरे की सलाह से फर्म में अन्य व्यवसाय भी कर सकेगें। 3- यह कि फर्म की समयाविध (कार्यकाल) साझेदारों की इच्छा पर

ु पर कि कि फर्म का समयावधि (कार्यकाल) साझेदारों की इच्छा पर निर्मर है।

4- यह कि फर्म का खाता किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में फर्म के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन फर्म के दोनों साझेदारों के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगीं।

5- यह कि फर्म की ओर से होने वाली समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी एवं व्यापार से संबंधित कार्यवाही फर्म

offeiral 20 a-20

2 / 12 hull



FS 449323

4

के सभी साझेदारों द्वारा अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा की

6 यह कि फर्म का वित्तीय वर्ष 1 अप्रेल से 31 मार्च तक होगा जिसमें फर्म की लाभ हानि निकाली जावेगी।

7- यह कि फर्म के सभी साझेदार निम्न प्रतिशत के हिसाब से फर्म में पूँजी लगाने, ब्याज प्राप्त करने एवं लाभ-हानि के साझेदार होगें:-

1- ज्योति

प्रथम पक्ष ६० प्रतिशत

2- विशाल कुमार कर्दम

द्वितीय पक्ष 40 प्रतिशत

 c_{8-} यहिक फर्म की गुडविल सभी पक्षों के पास समान रूप से

रहेगी।

5/Kg/ra/ 30.9-20

Jishul 3.18-12020



FS 449326

5

9- यह कि फर्म का कोई साझेदार ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे के फर्म को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का कोई किसान होवे।

10- यह कि फर्म किसी भी प्राइवेट व्यक्ति, संस्थानों, प्रतिष्ठानों, वैकों आदि से ऋण अनुदान लेने व देने के लिए अधिकृत है जो सभी पक्षों की आपसी सहमति से होगा।

यह कि प्रत्येक भागीदार फर्म में लगायी गयी पूँजी पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लेने का हकदार है, यह ब्याज की दर या अधिक फर्म में मुनाफा व घाटा होने पर आपसी सहमित से घटाई-बढ़ाई जा सकती है । यह ब्याज शुद्ध लाभ अथवा नुकसान जो कि भागीदारों में आपस में विभाजित हागा, उससे पूर्व

30/09/2020



6

FS 449327

्दी जावेगी। तथा यह ब्याज ऐसी समझी जायेगी जैसा कि व्यापारिक खर्च अथवा लाभ है तथा फर्म के सभी साझेदार सिक्कय कप से फर्म में कार्य करेगें।

1- यहिक फर्म से यदि कोई पक्ष अलग होना चाहता है तो उसकी सूचना के एक माह बाद फर्म की लाभ हानि निकालकर उस पक्ष का पैरा नं० ७ के अनुसार उसका हिसाब कर दिया जायेगा। फर्म का विघटन किसी भी दिशा में न होगा बल्कि फर्म पूर्ववत कार्य करती रहेगी।

12- यह कि पार्टनरिशप डीड पर मध्यस्ता अधिनियम 1932 के प्रोवीजन भी लागू होगें परन्तु सभी पक्ष निम्नलिखित के लिए अधिकृत हैं।

official 30.9.20

Jished 30/09/2020



FS 449328

7

(ए) व्यापार में झगड़ा होने पर मध्यस्थ व्यक्ति के समक्ष ले जाने

🕽 के लिए

(बी) फर्म के द्वारा वाद को वापिस लेने अथवा दावा करने के लिए एवं वाद को दाखिल करने के लिए।

(सी)फर्म के आधार पर क्लेम प्राप्त करने तथा क्लेम पर सुलहनामा करने के लिए


13- यह कि अन्य कोई बात जो कि इस पार्टनरिशप डीड (साझेदारी प्रपत्र) पर मध्यस्थता अधिनियम के प्रोवीजन भी लागू

बर्पायी होगें।

यह पार्टनरिशप डीड आज दिनांक 30/09/2020 को हम सभी साझेदारों ने खूब सोच विचार कर बिना किसी नशीली वस्तु

Majra 1 20 01-20

30/09/200



8

उत्तर भदेश UTTAR PRADESH

के सेवन किये यह पार्टनरिशप डीड लिख दी है जिससे कि सनद रहे और वक्त जरूरत पड़ने पर काम आवे।

गवाहानः-

ह० प्रथम साझेदार . गुरिशोग्युर्भ 30 9.20

1-

ह० द्वितीय साझेदार र्रेड्रीकी

2-

Smit Mannema Sherma Notary Go. of India Collectorate Listt, Agra